

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER  
SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE, GOVERNMENT OF INDIA,  
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY, DEPARTMENT OF COMMERCE  
SEEPZ SERVICE CENTRE BLDG, MIDC CENTRAL ROAD, ANDHERI (EAST),  
MUMBAI - 400 096

F. No. SEEPZ- SEZ/CUSTOMS/CHANGESIN/60/2016-17

Date : 31.10.2016


PUBLIC NOTICE NO. 26 / 2016

SUB:- Auto Generation of EDF Number and Softex Number - reg.

Attention of all SEEPZ-SEZ Units is invited to the present practice for generation of EDF number for merchandise Export / DTA procurement, with Export benefits and Software Exports, wherein SEZ Exporters have to approach RBI Regional Offices / RBI Portal for generation of EDF number, which has to be quoted in the Shipping Bill / Bill of Export / Softex forms, which are filed by the Units.

2. It is brought to the notice of all concerned that now SEZ Online system is integrated with RBI system and SEZ Online provides all required data of Merchandise Exports / DTA Procurement / Software Exports to RBI. RBI has considered and agreed to the request of NDMT that SEZ online would generate unique numbers in this regard and include statutory form and data submission to RBI. Therefore, there is no need for SEZ Units to collect EDF Number / Softex Number from RBI. SEZ Online will automatically generate these numbers on submission of the transaction and automatically populate in all applicable forms.

3. This issues with the approval of the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ.

  
(V. P. Shukla)  
Joint Development Commissioner  
SEEPZ-SEZ, Mumbai

Copy to:-

- 1) All Units in SEEPZ SEZ
- 2) The Secretary, SGJMA.
- 3) Concerned Officers
- 4) Notice Board / Website.
- 5) Office copy

भारत सरकार

विकास आयुक्त का कार्यालय  
सीप्लज- विशेष आर्थिक क्षेत्र,  
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,  
अंधरी (पूर्व), मुंबई- 400096

टेलीफोन-28291754, ई-मेल: dcseepz\_mah@nic.in

\*\*\*\*\*

सं.सीप्लज-सेज/कस्टम/चेन्जेसइन/2016-17/

दिनांक: 31.10.2016


### सार्वजनिक सूचना संख्या 26/2016

विषय:- ई डी एक नंबर तथा सोफटेक्स नंबर का स्वतः दिया जाना ।

सीप्लज-सेज के सभी यूनिटों का ध्यान व्यापार वस्तुओं के निर्यात/घरेलू टैरिफ क्षेत्र प्रापण जिनके लिए निर्यात लाभ-तथा सोफटेक्स निर्यात के लिए ई डी एक नंबर दिये जाने की वर्तमान परिणती की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके तहत सेज निर्यातों को भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों / भारतीय रिजर्व बैंक पोर्टल से ईडीएफ नंबर प्राप्त करने के लिए संपर्क करना पड़ता है तथा शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट / सोफटेक्स फॉर्मो यूनिटों द्वारा जिनका भरा जाना आवश्यक है, में इनका उल्लेख किया जाता है ।

2. सभी संबंधितों के ध्यान में यह लाया जाता है कि अब सेज ऑनलाइन सिस्टम को भारतीय रिजर्व बैंक सिस्टम के साथ एकीकृत किया गया है तथा सेज ऑन लाइन द्वारा व्यापार वस्तुओं के निर्यात / डीटीए प्रापण / सोफ्टवेयर निर्यात संबंधी सभी आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक को उपलब्ध कराया जाता है । भारतीय रिजर्व बैंक ने एनडीएमएल के इस अनुरोध पर विचार किया तथा इसके लिए वह सहमत हो गया है कि सेज ऑन लाइन इस संबंध में यूनिट नंबर देगा तथा भारतीय रिजर्व बैंक को सांविधिक फॉर्म तथा आंकड़े भेजेगा । अतएव, अब सेज यूनिटों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से ईडीएफ नं. तथा सोफटेक्स नं. लेने की आवश्यकता नहीं है । लेन-देन का आंकड़ा देने पर सेज ऑन लाइन सभी लागू फॉर्मों में अपने आप ये नंबर दे देगा ।

यह विकास आयुक्त, सीप्लज-सेज के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(विजय प्रकाश शुक्ल)

संयुक्त विकास आयुक्त

सीप्लज-सेज

प्रति,

1. सीप्लज-सेज में स्थित सभी यूनिट
2. एसजीजेएमए के सचिव
3. संबंधित अधिकारी
4. सूचना पट्ट / वेबसाइट
5. कार्यालय प्रति